न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या– 14/2020

2. किशनहरी पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम जाति ठाकुर निवासी ग्राम गढी जवाहर तहसील व जिला धौलपुर

.........अपीलाण्ट/प्रार्थी

बनाम्

2. सरकार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत विन्तीपुरा तहसील व जिला धौलपुर

.... रैस्पोडेण्ट्स/ अप्रार्थी

प्रापत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट रूपान्तरित अपील जरिये आदेशिका दिनांक 31.12.2020।

उपस्थिति –

3. श्री रिपुदमनसिंह एडवोकेट––अपीलाण्ट की ओर से
4. पैरोकार सरकार – रैस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 18.02.2022

अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नामान्तकरण में शुद्धि के बाबत् न्यायालय में दिनांक 13.12.2019 को प्रस्तुत किया था, उक्त प्रकरण 136 एलआरए की तारीफ में नहीं होने के कारण दिनाक 31.12.2020 को 136 एलआरए की श्रेणी से कम कर नामान्तकरण अपील में दर्ज किया गया। उक्त अपील इस आशय की है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 350, 351 बाकै ग्राम खूबीपुरा तहसील व जिला धौलपुर खसरा नम्बर 388, 477, 3456, 1937/5, 500, बाकै ग्राम विन्तीपुरा 890, 891, 944, 504, 527, 531, 526, 529, 530 बाकै ग्राम गढी जवाहर तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार प्रार्थी के पिता राधेश्याम पुत्र छविराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम गढी जवाहर तहसील व जिला धौलपुर थे। प्रार्थी के पिता का निधन हो चुका है। जिनके उत्तराधिकारी प्रार्थी किशनहरी एवं उसकी मॉ गुड्डी है। श्री राधेश्याम की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी पर नामांतकरण संख्या 453 में जो सिजरा ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी किया गया है, उस सिजरा में सहवन से प्रार्थी का नाम किशनहरी के बजाय रामहरी गलत दर्ज कर दिया है इसलिए सरपंच द्वारा प्रमाणित सिजरा में सहवन से गलत नाम के आधार ही प्रार्थी का नाम उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में विरासत के नामान्तकरण के आधार पर रामहरी गलत दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम आधार

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि पर किशनहरी है जो प्रार्थी का सही नाम है। इसलिए प्रार्थी के गलत नाम रामहरी को कलमजद किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम किशनहरी दर्ज किया जाने हेतु अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज की जाकर तहसीलदार मनियां से जरिये पत्रांक 1471 दिनांक 28.01.2020 से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मनियां द्वारा दिनांक 589 दिनांक 11.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि रामहरी पुत्र राधेश्याम जाति ठाकुर के नाम के बारे में जानकारी करने पर ग्रामवासियों ने बताया कि किशनहरी व रामहरी एक ही व्यक्ति का नाम है, राजस्व रिकार्ड में रामहरी दर्ज है उपस्थित व्यक्तियों ने बताया है कि रामहरी का सही नाम किशनहरी है।

अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नामांतकरण संख्या 453 बाकै ग्राम विन्तीपुरा, नकल जमाबंदी सम्वत 2072– 75 बाकै ग्राम खूबीपुरा, नकल जमांबदी बाकै ग्राम विन्तीपुरा नकल जमाबंदी 2073–2076, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 बाकै ग्राम गढी जवाहर, फोटोप्रति भामाशाह कार्ड, फोटोप्रति आधार कार्ड, फोटोप्रति राशनकार्ड प्रस्तुत किये।

बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि, विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर प्रार्थी के पिता राधेश्याम पुत्र छविराम खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे। जिनके निधन के पश्चात उत्तराधिकारी प्रार्थी किशनहरी एवं उसकी माँ गुड़डी है। श्री राधेश्याम की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी पर नामांतकरण संख्या 453 बाकै ग्राम विन्तीपुरा में जो सिजरा ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी किया गया है, उस सिजरा में सहवन से प्रार्थी का नाम किशनहरी के बजाय रामहरी गलत दर्ज कर दिया है इसलिए सरपंच द्वारा प्रमाणित सिजरा के आधार पर ही प्रार्थी का नाम उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में विरासत के नामान्तकरण के आधार पर रामहरी गलत दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि पर किशनहरी है जो प्रार्थी का सही नाम है। इसलिए प्रार्थी का सही नाम किशनहरी दर्ज किया जाने निवेदन किया है।

वकील अपीलाण्ट की बहस का मनन किया एवं पत्रावली तथा पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने नामान्तकरण संख्या 453 बाकै ग्राम विन्तीपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर में उसका नाम किशनहरी के स्थान पर रामहरी दर्ज होने के कारण प्रस्तुत की है। तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट में भी किशनहरी और रामहरी एक व्यक्ति के ही नाम होना बताया है तथा अपीलाण्ट का सही नाम किशनहरी होना अपने मौका पर्चा में मजमे आम द्वारा बताया जाना अवगत कराया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति भामाशाह कार्ड, फोटोप्रति आधार कार्ड, फोटोप्रति राशनकार्ड में किशनहरी पुत्र राधेश्याम दर्ज है। उक्त दस्तावेजों के अध्ययन एवं तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रामहरी एवं किशनहरी एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम किशनहरी है तथा राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण संख्या 453 बाकै ग्राम विन्तीपुरा तहसील मनियां व जिला धौलपुी द्वारा

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

सहवन से रामहरी दर्ज हो गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 453 बाकै ग्राम विन्तीपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मनियां को प्रतिप्रेषित करे आदेशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष की उपस्थिति में पूर्ण जॉच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार मनियां को पालना हेतु भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)